

बिषय : (1) सोनपुर मंडल के बछवारा जं पर गाड़ी संख्या 15653 अप को गलत लाइन में रिसीव करने के संबंध में।

दिनांक 04/08/2022 को सोनपुर मंडल के बछवारा जं पर गाड़ी सं 15653 अप का लाइन क्लियर स्टेशन मास्टर (आउटडोर)/बछवारा जं के द्वारा 05.13 बजे दिया गया। इस गाड़ी को साठाजगत स्टेशन की ओर जाना था, परन्तु स्टेशन मास्टर (आउटडोर)/बछवारा जं के द्वारा 05.18 बजे विद्यापति धाम स्टेशन की ओर जाने वाली लाइन सं 08 के लिए होम सिगनल 'ऑफ' कर दिया गया। बछवारा जं का होम सिगनल बिलम्ब से 'ऑफ' होने के कारण उक्त गाड़ी के लोको पायलट को डिस्टेंट सिगनल का संकेत 'सतर्क' (एक पीला) तथा होम सिगनल का संकेत मार्ग संकेतक (रूट) के साथ पीला मिला। लोको पायलट के द्वारा गाड़ी सं 15653 को लाइन सं 08 में फाउलिंग मार्क जाम कर रोक दिया गया।

विदित हो कि कार्यरत स्टेशन मास्टर के द्वारा सामान्य एवं सहायक नियम तथा स्टेशन संचालन नियम में वर्णित नियम का पालन नहीं किया गया तथा लोको पायलट के द्वारा भी सहायक नियम 3.78 का पालन सही रूप से नहीं किया गया।

उपरोक्त घटना के पश्चात त्वरित कारवाई करते हुए स्टेशन मास्टर को निलम्बित कर दिया गया है।

अतः इस घटना के आलोक में निम्नलिखित सावधानी लेने का निर्देश दिया जाता है।

- (1) जंक्शन स्टेशन पर डायरेक्शन के अनुसार गाड़ियों के समय-सारिणी का एक लिस्ट बनाकर कार्यस्थल पर रखना सुनिश्चित करें साथ ही लाइन क्लियर देते-लेते समय पूरी गाड़ी संख्या विवरण सहित स्पष्ट रूप से बोला/सुना जाना सुनिश्चित करें।
- (2) पैनल पर कार्य करने के दौरान सभी स्टेशन मास्टर एवं अन्य कर्मचारी विशेष सावधानी वरतें।
- (3) परस्पर विरोधी सिगनल दिखाई देने पर लोको पायलट गाड़ी को तुरन्त रोक देगा। परस्पर विरोधी सिगनल का अभिप्राय संचालन से संबंधित ऐसे सिगनलों से है जो उसकी गाड़ी के संचालन से विपरीत हो।

अतः सभी मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लापरवाही की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से सम्बंधित सभी कर्मचारियों एवं लोको पायलट आदि को जागरूक करने हेतु सघन काउंसलिंग करें तथा आवश्यक कारवाई करें।

बिषय : (2) बखरी स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक देने के उपरान्त ब्लॉक लाइन में गाड़ी रिसीव करना ।

दिनांक 04.08.2022 को सोनपुर मंडल के बखरी स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक लाइन नं 2 पर 10.40 बजे से 12.10 बजे तक तथा 12.35 बजे से 14.05 बजे तक दिया गया था । कार्यरत स्टेशन मास्टर/बखरी ने ब्लॉक कैमिन किये बिना ही गाड़ी संख्या 15910 डाउन को लाइन संख्या 2 में रन थ्रू करने के लिए होम सिगनल 13.28 बजे 'ऑफ' कर दिया गया जिसके कारण उक्त गाड़ी ब्लॉक दिए गए लाइन संख्या 2 में प्रवेश कर 13.40 बजे अवरोध स्थल से 500 मीटर पहले खड़ी हो गई । घटना के फलस्वरूप गाड़ी संख्या 15910 लाइन नं 2 में 13.40 बजे से 14.05 बजे तक विलंबित रही ।

जाँच रिपोर्ट के अनुसार-

- ब्लॉक देने के उपरांत सेफ्टी कॉलर का प्रयोग पैनल के सम्बंधित बटन पर नहीं किया गया ।
- ब्लॉक दिए गए लाइन के विरुद्ध कांटा (Points) नहीं बनाया गया था ।
- लाइन नं- 2 (मेन लाइन) के लिए स्टार्टर सिगनल 'ऑफ' करने के बाद हरा होने पर भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ ।
- लाइन नं- 2 (मेन लाइन) के लिए होम सिगनल 'ऑफ' करने के बाद हरा होने पर भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ ।

घटना से स्पष्ट है कि स्टेशन मास्टर बखरी ने ट्रैफिक ब्लॉक दिए गए लाइन पर गाड़ी लेने की भूल की तथा सामान्य एवं सहायक नियम 15.08 का उल्लंघन किया ।

उपरोक्त घटना के पश्चात मंडल द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर को निलम्बित कर दिया गया है ।

अतः सभी मंडलों को उपरोक्त लापरवाही के सम्बन्ध में निम्नलिखित का कठोरता से पालन करने का निर्देश दिए जाते हैं ।

1. ब्लॉक दिए जाने पर स्टॉप प्लग, सेफ्टी कॉलर, स्लाइड /लीवर कॉलर, का प्रयोग करना सुनिश्चित करें ।
2. स्टेशन पर जिस लाइन पर ब्लॉक दिया गया है उसके विरुद्ध कांटे (Points) सेट हो ।
3. स्टेशन पर ट्रैफिक ब्लॉक या पावर ब्लॉक दिए जाने पर सम्बंधित ब्लॉक यन्त्र पर लाइन बाधित बोर्ड या पावर ब्लॉक बोर्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
4. स्टेशन डायरी एवं टीएसआर में लाल स्याही से ब्लॉक के सम्बन्ध में इंदराज सुनिश्चित करें ।
5. स्टेशन मास्टर को सामान्य एवं सहायक नियम के अध्याय 15 में वर्णित ट्रैफिक ब्लॉक के सम्बन्ध में तथा अध्याय 17 में पावर ब्लॉक के सम्बन्ध में वर्णित नियमों से अवगत होना चाहिए ।
6. पैनल पर कार्य करने के दौरान सभी स्टेशन मास्टर एवं अन्य कर्मचारी विशेष सावधानी वरतें ।

अतः सभी मंडलों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त लापरवाही को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से सम्बंधित नियमों का अक्षरशः पालन करने एवं उन्हें सतर्क करने हेतु सभी अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी/ यातायात निरीक्षक औचक निरीक्षण के साथ सघन काउंसलिंग करें तथा छोटी- छोटी भूलों को भी उजागर कर सबों की जानकारी में लायें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके ।

1904
05.08.22
(बी.के.दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर
दिनांक : 05.08.2022

सं.ई.सी.आर/परि.संरक्षा/चेतावनी/73/505,

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक/ प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी पूमरे, हाजीपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. मंडल रेल प्रबंधक- धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ ।
3. वरि.मंडल परिचालन प्रबंधक -धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक करवाई हेतु ।